


19/02
2020

आज यह पत्रावली कहील जवरी कर
मूल का मे करि अधिक ज. पत्र खरि
करने पर पेशी में ली गई। बाडीजनी
की इतना दुआ पर मूल का खरि
लेना जा चुका है। अतः इस प्रकार
मे करि कायबादी उपेक्षा नहीं है।
लिहाजा ज. पत्र जवरी खरि
जाता है तथा न बालन द्वारा जारी
अखबार विषयका दिनांक 21.10.2019
की निरस्त किया जाता है। पत्रावली
में शुमार एक मूल का
हलकन रहे।


उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर